न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत न्याय आपके द्वार/ कैम्प कोर्ट मुख्यालय रामगढ)
पीठासीन अधिकारी :– श्री बाल कृष्ण तिवाडी आर. ए. एस.

दावा	तारीख रजू	तारीख निर्णय
1/18 /17	21.02.2017	29.06.2018

उनवान

1. रामचन्द्र पुत्र श्री सूण्डाराम
2. सवाचन्द पुत्र श्री सूण्डाराम
3. मित्रसेन पुत्र श्री सूण्डाराम
4. धर्मवीर पुत्र श्री श्रीराम
5. अशोक कुमार पुत्र श्री श्रीराम जातियान अहीर निवासियान ग्राम निवाली तहसील रामगढ जिला अलवर।

.....वादीगण

बनाम

1. चुन्नीलाल पुत्र श्री मंहगाराम, जाति जाट निवासी ग्राम निवाली तहसील रामगढ जिला अलवर।
2. भारतीय स्टेट बैंक शाखा रामगढ तहसील रामगढ जिला अलवर जर्ये शाखा प्रबन्धक

.....असल प्रतिवादीगण

3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब रामगढ जिला अलवर।

.....तकमीली प्रतिवादी

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीएक्ट)

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 1749 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा, जिसके हाल खसरा नम्बर 268 रकबा 0.44, 270 रकबा 0.43 हैक्ट0 कायम हुए है, सालिम तथा साबिक खसरा नम्बर 1748 मिन रकबा 03 बिस्वा, जिसका हाल खसरा नम्बर 271/580 रकबा 0.05 हैक्ट0 बना है, साबिक खसरा नम्बर 1750 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 266 रकबा 0.24, 267 रकबा 0.23 हैक्ट0 बने है, साबिक खसरा नम्बर 1748 मिन रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, जिसका हाल खसरा नम्बर 272 / 581 रकबा 0.47 हैक्ट0 बना है, में से 1/2 हिस्सा वाके ग्राम सोनागढ तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित है। जो आराजी वाद में विवादित है। उक्त आराजी मुतनाजा प्रतिवादी सं0 1 खरीदशुदा कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी तथा प्रतिवादी सं0 1 ने विवादित आराजी को जर्ये पंजीकृत बयनामा दिनांक 13.06.1979 के वादीगण को बाजाब्ता विक्रय कर दिया था और प्रतिवादी सं0 1 को प्रतिफल अदा करके कब्जा प्राप्त कर लिया था। वक्त खरीद अर्थात विगत

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर) राज0

करीब 37 सालों से विवादित आराजी पर मौके पर बेरोकटोक कब्जा काश्त चला आ रहा है। मुताबिक विक्रय पत्र विवादित आराजी में वादी सं0 1 ला0 का 1/2 हिस्सा व वादी सं0 4 व 5 का 1/2 हिस्सा है तथा इसी अनुसार बयनामा कराया गया था। विवादित आराजी से प्रतिवादी सं0 1 व उसके वारिसों का कोई सम्बन्ध व सरोकार किसी तरह का नही है। वादीगण अनपढ ग्रामीण व्यक्ति है तथा उन्होने बयनामा कराने के बाद बयनामा को तत्कालीन हल्का पटवारी को इन्तकाल चढाने के लिए दे दिया था तथा हल्का पटवारी ने कहा कि वो इन्तकाल दर्ज कर देगा और वादीगण का नाम कागजातमाल में दर्ज हो जायेगा तथा कुछ समय बाद बयनामा वादीगण को वापिस लौटा दिया। जिस कारण वादीगण इस विश्वास में थे कि विवादित आराजी वादीगण के नाम कागजातमाल में दर्ज चली आ रही है। किन्तु अब वादीगण पटवारी हल्का के पास विवादित आराजी पर क्रेडिट कार्ड बनवाने के सम्बन्ध में मिले तो पता चला कि विवादित आराजी प्रतिवादी सं0 1 के नाम ही दर्ज है तथा प्रतिवादी सं0 2 बैंक से विवादित आराजी पर ऋण भी लिया हुआ है जबकि प्रतिवादी सं0 1 का विवादित आराजी पर कोई कब्जा मौके पर किसी तरह का नही है। इसके बावजूद प्रतिवादी सं0 2 ने बिना कब्जे की जांच किये विवादित आराजी पर प्रतिवादी सं0 1 को ऋण प्रदान कर दिया। जिस कारण प्रतिवादी सं0 2 के विरूद्ध भी दावा पेश करना लाजिम आया है।

अतः दावा पेश कर निवेदन है कि डिक्री बाबत घोषणात्मक सादिर की जाकर विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 268 रकबा 0.44 हैक्ट0 व 270 रकबा 0.43 हैक्ट0 सालिम एवं खसरा नम्बर 271/580 रकबा 0.04, 266 रकबा 0.24, 267 रकबा 0.23, 272/581 रकबा 0.47 हैक्ट0 में से 1/2 हिस्सा वाके ग्राम सोनागढ तहसील रामगढ जिला अलवर के 1/2 हिस्सा का वादी सं0 1 ला0 3 को व 1/2 हिस्से का वादी सं0 4 व 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। तथा प्रतिवादी सं0 1 व 2 का नाम कागजातमाल से कलमजन कराया जाकर वादीगण को उपरोक्तानुसार खातदेार काश्तकार दर्ज कराया जावे व तदानुसार समस्त कागजातमाल में दुरूस्ती कराई जावें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से तामिल बावजूद न्यायालय में उपस्थित नही हुए। प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर) राज0

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार शिविर / कैम्प कोर्ट मुख्यालय रामगढ में दिनांक 29.06.2018 को पेश हुई। वादीगण उपस्थित। वादीगण को सुना गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यो का अध्ययन किया। जिससे प्रतीत होता है कि विवादित आराजी मुतनाजा प्रतिवादी सं0 1 खरीदशुदा कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी तथा प्रतिवादी सं0 1 ने विवादित आराजी को जर्ये पंजीकृत बयनामा दिनांक 13.06.1979 के वादीगण को बाजाब्ता विक्रय कर दिया था और प्रतिवादी सं0 1 ने वादीगण को कब्जा सम्भलवा दिया था। वादीगण वक्त खरीद अर्थात विगत करीब 37 सालों से विवादित आराजी पर मौके पर बेरोकटोक कब्जा काश्त करता चला आ रहा है। मुताबिक विक्रय पत्र विवादित आराजी में वादी सं0 1 ला0 का 1/2 हिस्सा व वादी सं0 4 व 5 का 1/2 हिस्सा है तथा इसी अनुसार बयनामा कराया गया था। विवादित आराजी से प्रतिवादी सं0 1 व उसके वारिसों का कोई सम्बन्ध व सरोकार किसी तरह का नही है। वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

वादीगण का वाद पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात के आधार पर स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 268 रकबा 0.44 हैक्ट0 व 270 रकबा 0.43 हैक्ट0 सालिम एवं खसरा नम्बर 271/580 रकबा 0.04, 266 रकबा 0.24, 267 रकबा 0.23, 272/581 रकबा 0.47 हैक्ट0 में से 1/2 हिस्सा वाके ग्राम सोनागढ तहसील रामगढ जिला अलवर के 1/2 हिस्सा का वादी सं0 1 ला0 3 को व 1/2 हिस्से का वादी सं0 4 व 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है कि तथा प्रतिवादी सं0 1 का नाम कागजातमाल से कलमजन कर उसके स्थान पर वादीगण को उपरोक्तानुसार खातदोर काश्तकार दर्ज करे। रहन का इन्द्राज यथावत रहेगा। इसी प्रकार पर्चा डिक्री बनाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत ग्राम पंचायत मुख्यालय रामगढ में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत न्याय आपके द्वार/ कैम्प कोर्ट मुख्यालय रामगढ)
पीठासीन अधिकारी :– श्री बाल कृष्ण तिवाडी आर. ए. एस.

दावा	तारीख रजू	तारीख निर्णय
1/18 /17	21.02.2017	29.06.2018

उनवान

1. रामचन्द्र पुत्र श्री सूण्डाराम
2. सवाचन्द पुत्र श्री सूण्डाराम
3. मित्रसेन पुत्र श्री सूण्डाराम
4. धर्मवीर पुत्र श्री श्रीराम
5. अशोक कुमार पुत्र श्री श्रीराम जातियान अहीर निवासियान ग्राम निवाली तहसील रामगढ जिला अलवर।

.....वादीगण

बनाम

1. चुन्नीलाल पुत्र श्री मंहगाराम, जाति जाट निवासी ग्राम निवाली तहसील रामगढ जिला अलवर।
2. भारतीय स्टेट बैंक शाखा रामगढ तहसील रामगढ जिला अलवर जर्ये शाखा प्रबन्धक
.....असल प्रतिवादीगण
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब रामगढ जिला अलवर।

.....तकमीली प्रतिवादी

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीएक्ट)

पर्चा डिक्री

वादीगण का वाद पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात के आधार पर स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 268 रकबा 0.44 हैक्ट0 व 270 रकबा 0.43 हैक्ट0 सालिम एवं खसरा नम्बर 271/580 रकबा 0.04, 266 रकबा 0.24, 267 रकबा 0.23, 272/581 रकबा 0.47 हैक्ट0 में से 1/2 हिस्सा वाके ग्राम सोनागढ तहसील रामगढ जिला अलवर के 1/2 हिस्सा का वादी सं0 1 ला0 3 को व 1/2 हिस्से का वादी सं0 4 व 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है कि तथा प्रतिवादी सं0 1 का नाम कागजातमाल से कलमजन कर उसके स्थान पर वादीगण को उपरोक्तानुसार खातदोर काश्तकार दर्ज करे। रहन का इन्द्राज यथावत रहेगा।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 29.06.2018 को तैयार की जाकर शामिल मिसल की गई।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)